न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक/1/धारा 92/2017-18 दिनांक 05.10.2018 (2018-19)

श्रीमति झुमकीबाई मंगल साठे सरपंच ग्राम पंचायत तुकईथड, ... आवेदक

विरुध्द

1. श्री नितेशसिंह पिता दत्तराजसिंह,
   नल-जल ठेकेदार एवं पंच पति
   निवासी तुकईथड
2. श्री विजय बैद्य,
   पंच,
   ग्राम पंचायत तुकईथड .... अनावेदगण

(पारित आदेश दिनांक 21.02.2019)

श्रीमति झुमकीबाई मंगल साठे सरपंच ग्राम पंचायत तुकईथड जनपद पंचायत खकनार द्वारा दिनांक 18.09.2018 एवं 01.10.2018 को प्रस्तुत आवेदन में श्री विजय बैद्य पंच द्वारा पंचायत के कार्य में बाधा डालने एवं श्री नितेशसिंह पिता दत्तराजसिंह, नल-जल ठेकेदार एवं पंच पति द्वारा नलजल योजना की ठेके की राशि जमा ना करने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

सरपंच द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अवगत कराया गया कि श्री विजय महादेव बैद्य पंच मेरी कुर्सी पर बैठ जाते है एवं मुझे पंचायत के कार्य करने में बाधा उत्पन्न करते है एवं मेरे विरूद्ध झुठी शिकायत दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है। मना करने पर 20000/- रू. की मांग की जाती है तथा मुझे पंचायत में सभी के सामने अपशब्दों का उपयोग कर अपमानित किया जाता है। ग्राम पंचायत तुकईथड द्वारा दिनांक 01.06.2016 को वार्ड कमांक 01, 06, 07, 08, 09 में निवासरत परिवारों से नलजल टैक्स वसूली की अनुमति प्रदाय की गई तथा दिनांक 01.06.2018 को 100 रू के स्टाम्प पर श्री नितेशसिंह ठाकुर द्वारा अनुबंध किया गया कि नलजल सप्लाय हेतु प्रति परिवार से टैक्स वसूल कर संबंधित परिवारों को नलजल सप्लाय किया जावेगा तथा पंचायत को 2000/-रू. प्रतिमाह मेरे द्वारा जमा किया जावेगा। श्री नितेशसिंह दत्तराजसिंह निवासी तुकईथड द्वारा ग्राम पंचायत तुकईथड में नलजल ठेका वसूली शर्त अनुसार दिनांक 01.06.2016 से 31.03.2017 तक 10 माह हेतु लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अनुबंध किया गया कि श्री नितेशसिंह ठाकुर मोहल्ले में पेयजल वाटर सप्लाय कार्य के एवेज में पंचायत को 2000/-रू. प्रतिमाह जमा करेगें। श्री नितेशसिंह ठाकुर द्वारा 03 माह तक वाटर सप्लाय का कार्य नहीं किया। एक माह की राशि जमा की गई। श्री नितेशसिंह ठाकुर द्वारा पंचायत के प्रति परिवार से 50/-रू. प्रतिमाह वसूली की गई परन्तु पंचायत में राशि जमा नही की गई। उक्त के संबंध में संबंधित को दिनांक 06.10.2018 कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

दिनांक 13.11.2018 को सरपंच श्रीमती झुमकीबाई द्वारा बयान दिया गया कि श्री विजय बैद्य द्वारा ग्राम पंचायत में मेरी कुर्सी पर बैठकर मुझे अपमानित कर रूपयें की मांग करता है। रूपये नही देने पर पेपर में झुठी खबर छापता है। मेरे से 30000/-रू. नगदी उधार के रूप में लिया और वापसी हेतु मुझे 000191 बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया। आज दिनांक तक रूपये वापस नही किया। झुठी खबरे छापने एवं शिकायत छापने से मना करने एवं मेरे रूपये मांगने पर मुझसे ही गाली

गलोच करता है इसी प्रकार पंचायत के सामने दिनांक 18.09.2018 को मुझे जाती सुचक शब्द कोरकु–ढोरकु पंचायत क्या चलायेगी कहकर गाली दिया। उस समय श्री गोकुल ठाकुर पंच एवं श्री राजपाल मोजीलाल पंच आ गये थें एवं इसी प्रकार ग्राम पंचायत के पंचपति श्री नितेशसिंह पिता दत्तराजसिंह द्वारा ग्राम के ठाकुर मोहल्ले में पानी सप्लाय के एवज में दिनांक 01.06.2016 से 31.03.2017 तक कुल 10 माह हेतु प्रतिमाह 2000/–रू. पंचायत में आमदनी जमा करने हेतु 100 रू. के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया था लेकिन इनके द्वारा 1 ही माह का 2000/–रू. जमा किया, वसूली योग्य राशि शेष है। इसके द्वारा बाजार से खुद ने ही रसीद कटटा खरीद कर बिना सरपंच/सचिव को बताये रसीदों पर नितेशसिंह दत्तराजसिंह ने स्वंय हस्ताक्षर करके एवं कुछ रसोदो पर सरपंच/सचिव की बिना हस्ताक्षर के सील लगा ली एवं वैसे ही रसीद देकर 50 रू. प्रतिमाह की दर से नल टेक्स की राशि वसूली की गई, साक्ष्य हेतु रसीदों की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 13.11.2018 को श्री गोकुल ठाकुर पंच निवासी तुकईथड द्वारा बयान दिया गया कि श्री विजय महादेव बैद्य द्वारा दिनांक 18.09.2018 को पंचायत के सामने प्रातः 10:00 बजे सरपंच से झुठी खबर छापने की धमकी पर 20000/–रू की मांग की गई सरपंच द्वारा पैसे न देने पर जातिसूचक शब्दो का उपयोग किया गया। दिनांक 13.11.2018 को श्री राजपाल ठाकुर पंच निवासी तुकईथड द्वारा बयान दिया गया कि श्री विजय महादेव बैद्य द्वारा दिनांक 18.09.2018 को पंचायत के सामने प्रातः 10:00 बजे सरपंच से झुठी खबर छापने की धमकी पर 20000/–रू की मांग की गई सरपंच द्वारा पैसे न देने पर जातिसूचक शब्दो का उपयोग किया गया। दिनांक 06.12.2018 को श्री नितेशसिंह ठाकुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 01.06.2016 से 31.03.2017 तक नलजल संसाधन ठाकुर मोहल्ले का अनुबंध कर प्रतिमाह ग्राम पंचायत को 2000/–रू. प्रतिमाह जमा करने संबंधी 10 माह का अनुबंध किया था किन्तु मेरे द्वारा कहने पर भी ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव द्वारा नल कनेक्शन धारियों से वसूली करने हेतु रसीद बुक उपलब्ध नही कराई गई। जिसके कारण नल कनेक्शनधारियों से 5000/–रू. मौखिक रूप से वसूल किये गये। मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 20.07.2016 को 2000/–रू पंचायत में जमा किये गये। शेष 3000/– रू. राशि दिनांक 27.11.2018 को जमा कराये गये।

दिनांक 06.12.2018 को श्रीमती संगीताबाई पंच ग्राम पंचायत तुकईथड द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि मैं वार्ड कमांक 1 से पंच हूँ। मेरे द्वारा पंचायत में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही की जाती । सरपंच के खिलाफ पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण सरपंच द्वारा पंचों के उपर झूठे आरोप लगाये जाते है। दिनांक 06.12.2018 को श्रीमती झुमकीबाई सरपंच ग्राम पंचांयत तुकईथड द्वारा पुनः साक्ष्य प्रस्तुत किये गये कि ग्राम पंचायत के वार्ड कमांक 19 के श्री विजय महोदय बैद्य द्वारा मेरी नगदी उधार 30000/–रू लिया गया उसके एवज में चेक कमांक 000604 दिनांक 14.11.2018 राशि 30000/–रू. का चेक लिया गया। चेक कलेक्शन मे लगाया गया उक्त चेक की राशि 30000/–रू. कलेक्शन होकर मेरे खाते में दिनांक 20.11.2018 को जमा कि गई किन्तु क्लियरिंग शाखा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बुरहानपुर के कर्मचारी द्वारा मौखिक दूरभाष पर कर्मचारी श्री किशोर पाटील के द्वारा दिनांक 01.12.2018 को कलेक्शन त्रृटीवश होना बताया गया। आपको राशि वापस जमा करनी पड सकती है। पूर्ण निराकरण होना बाकी है। पंचायत के सामने दिनांक 18.09.2018 को मुझे विजय महादेव बैद्य द्वारा जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया गया। इसी प्रकार श्री नितेशसिंह दत्तराजसिंह द्वारा ठाकुर मोहल्ले में पानी सप्लाय दिनांक 01.06.2016 से 31.03.2017 तक नलजल संसाधन ठाकुर मोहल्ले का अनुबंध कर प्रतिमाह ग्राम पंचायत को 2000/–रू. प्रतिमाह जमा करने संबंधी 10 माह का अनुबंध किया गया। टैक्स वसूली की राशि श्री नितेशसिंह द्वारा बाजार से रसीद कटटा खरीदकर खुद के हस्ताक्षर से राशि वसूल की गई। ग्रामीणों को दी गई दिनांक 21.07.2016 को श्री रामकिसन, दिनांक 22.08.2016 श्री रामकिसन, दिनांक 22.08.2016 को श्री रामलाल मेढा, दिनांक 22.09.2016 को श्री रामलाल मेढा, दिनांक 21.09.2016, श्री रामकिसन दिनांक 21.07.2016 को श्री रामकिसन, दिनांक 31.11.2016 को श्री रामकिसन, दिनांक 21.10.2016 को श्री रामलाल उपरोक्त ग्रामवासियों से टैक्स वसूली की गई। जिस पर टैक्स वसूलीकर्ता के हस्ताक्षर है तथा दिनांक 21.01.2017 को रामलाल भाऊ के नाम से रसीद काटी गई पर हस्ताक्षर

नही है। टैक्स वसूली के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक / 5125 / दिनांक 07.12.2018 द्वारा श्री नितेशसिंह दत्तराजसिंह ठाकुर निवासी ग्राम पंचायत तुकईथड को पत्र जारी किया गया।

मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन अनावेदकगणों के जवाब शासन साक्षियों के कथन तथा नलजल टैक्स वसूली के हितग्राहियों के रसीदों का अवलोकन किया गया। रसीदों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नलजल टैक्स की वसूली ठेकेदार द्वारा की गई। उक्त वसूली के संबंध में दिनांक 07.12.2018 को राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस के संबंध में श्री नितेशसिह द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम पंचायत के अनुबंध अनुसार दिनांक 01.06.2016 से 31.03.2017 तक कुल 10 माह की 2000 / –रू. प्रतिमाह की दर से 20000 / –रू. जमा किया जाना चाहियें था पर श्री नितेशसिहं द्वारा मात्र 5000 / –रू. जमा किये गये है। शेष वसूली योग्य राशि 15000 / –रू. जमा नही की गई। श्री नितेशसिंह दत्तराजसिंह निवासी तुकईथड को निर्देशित किया गया है कि नलजल सप्लाय की अनुबंध अनुसार राशि 15000 / –रू 15 दिवस में जनपद पंचायत खकनार में जमा कराकर जमा रसीद प्रस्तुत करें। राशि जमा ना कराये जाने पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली कार्यवाही की जावेगी।

श्री विजय महादेव बैद्य पंच ग्राम पंचायत तुकईथड द्वारा श्रीमती झुमकीबाई सरपंच ग्राम पंचायत तुकईथड से उधार ली गई राशि 30000 / –रू. चेक के माध्यम से वापस की गई। दिनांक 06.12.2018 को प्रस्तुत साक्ष्य में सरपंच द्वारा अवगत कराया गया कि राशि प्राप्त नही हुई। श्री विजय महादेव बैद्य पंच ग्राम पंचायत तुकईथड यह सुनिश्चित करें कि संबंधित को राशि 15 दिवस में उपलब्ध करावें राशि उपलब्ध ना कराने पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही एवं धारा 92 के तहत वसूली कार्यवाही की जावेगी।

आदेश आज दिनांक 21.02.2019 को खुले न्यायालय में पारित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

21/2/19

(शैलेन्द्र सिंह)
IAS
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

<u>प्रतिलिपि,</u>

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर